

पत्रक
(नियम 13)

[General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9]
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

पीठारसीन अधिकारी श्री गुराशीलाल शर्मा आर.ए.एस. नवलगढ़

रामचन्द्र सिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।	-बनाम-	आरजू पृथ्वी इशक मोहम्मद पत्नी सलीम जति व्यापारी मुसलमान निवासी जाखल हाल आबाद वा0न0 05 मोहल्ला व्यापारियान बकरा मण्डी सीकर तहसील सीकर बगैरह
किस्म मुकदमा - दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा		मु.नं. 39/2020 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
14.07.20	आज यह दावा वादी की ओर से वकील श्री सम्पत सिंह द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.08.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	1772 15/7/20
11/8/20	पत्रावली पेश हुई। पत्र संभारणक संघ द्वारा अग्रिम कार्य स्थगित रख गया है। अतः दस्तावेजात अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25/10/20 को पेश हो।	
25/8/20	पत्रावली प्राप्त पत्रावली तलबी का पेश होने का पत्रावली पर तलबी की गई। वादी द्वारा एक पत्रावली पेश कर निवेदन किया कि उसी उक्त प्रकरण से लागू नहीं चाहता चाहता है तथा प्रकरण का निरन्तर करवाना चाहता है। अतः वादी की प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रकरण को छद्म प्रकरण पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल व्युत्पन्न होकर दलील नकल से कम हो तथा बाद तहसील आया दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़